

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प.19(2)साप्र/2/22

जयपुर, दिनांक : 03.02.2025

-: आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी 'एच' श्रेणी में वरियता के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नांकित शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किये जाते हैं:-

क्र. सं.	वरियता क्रमांक	नाम एवं पदनाम आवंटी	सेवानिवृत्ति तिथि	आवंटित राजकीय आवास
1.	5/2016	श्री करन सिंह, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय मुख्य अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जयपुर	31.01.2048	एच-508, गांधीनगर
2.	6/2016	श्री मुकेश कुमार बैरवा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय न्यायाधीश विशिष्ट न्यायाधीश, जयपुर	30.09.2048	एच-553, गांधीनगर
3.	8/2016	श्री जाकिर अली, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर	31.07.2051	एच-562, गांधीनगर
4.	9/2016	श्री राजकुमार रैसवाल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट जयपुर	31.08.2046	एच-563, गांधीनगर
5.	10/2016	श्री रामप्रताप मीणा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग जयपुर	31.05.2034	एच-568, गांधीनगर
6.	12/2016	श्री अंशुल धवन, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर	31.08.2043	एच-577, गांधीनगर
7.	13/2016	श्री अनिल कुमार वर्मा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जयपुर	31.05.2048	एच-578, गांधीनगर
8.	14/2016	श्री पदमाराम चौधरी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग राजस्थान जयपुर	30.06.2046	एच-579, गांधीनगर
9.	17/2016	श्री महेश कुमार शर्मा, क्लीनर, कार्यालय सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर	31.08.2031	एच-582, गांधीनगर
10.	18/2016	श्रीमती धनवन्ति मीना, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग जयपुर	31.08.2050	एच-586, गांधीनगर
11.	19/2016	श्री विक्रम सिंह, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय पुलिस उपायुक्त, पुलिस आयुक्तालय जयपुर	31.03.2041	एच-589, गांधीनगर
12.	20/2016	श्री गोपाल सिंह, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग, जयपुर	31.07.2036	एच-592, गांधीनगर
13.	21/2016	सुश्री सीमा दरोगा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी,	30.09.2040	एच-596,



		राजस्थान विधानसभाग, जयपुर		गांधीनगर
14.	22/2016	श्रीमती रेखा सैन, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज. जयपुर	31.05.2039	एच-597, गांधीनगर
15.	23/2016	श्री बहमप्रकाश शर्मा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण राजस्थान जयपुर	31.03.2039	एच-651, गांधीनगर
16.	25/2016	श्रीमती सरोज शर्मा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण राजस्थान जयपुर	31.05.2039	एच-653, गांधीनगर
17.	26/2016	श्री यशपाल टोडावता, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच संख्या 4 जयपुर	30.09.2044	एच-654, गांधीनगर
18.	27/2016	श्री गिराज कुमार प्रजापत, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, राजस्थान विधानसभा जयपुर	31.07.2051	एच-656, गांधीनगर
19.	29/2016	श्री पुरुषोत्तम शर्मा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-1 जयपुर महानगर	31.08.2054	एच-659 , गांधीनगर
20.	30/2016	श्रीमती राज किरण, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, निदेशालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जयपुर	31.08.2040	एच-855, गांधीनगर
21.	31/2016	श्री बीर सिंह, लश्कर कार्यालय लेफिटनेंट कर्नल कमांडिंग अधिकारी राजस्थान बटालियन एनसीसी जयपुर	31.01.2055	एच-865, गांधीनगर
22.	32/2016	श्री देवेश धनखड़, चौकीदार कार्यालय लेफिटनेंट कर्नल कमांडिंग अधिकारी राजस्थान बटालियन एनसीसी जयपुर	31.08.2054	एच-882, गांधीनगर
23.	33/2016	श्री अशोक, चौकीदार कार्यालय लेफिटनेंट कर्नल कमांडिंग अधिकारी राजस्थान बटालियन एनसीसी जयपुर	31.07.2055	एच-888, गांधीनगर
24.	34/2016	श्रीमती प्रेम कंवर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-12 जयपुर	30.06.2034	एच-892, गांधीनगर
25.	35/2016	श्री राजेश कुमार मीणा, सहायक कर्मचारी, कार्यालय अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-12 जयपुर	31.08.2045	एच-897, गांधीनगर
26.	36/2016	श्रीमती विमल शर्मा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-12 जयपुर	31.01.2027	एच-903, गांधीनगर
27.	37/2016	श्रीमती सोनाली, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-4 जयपुर	31.12.2049	एच-905, गांधीनगर
28.	38/2016	श्री रामफूल मीणा, वन रक्षक कार्यालय उप वन संरक्षक, वन विभाग जयपुर	31.07.2050	एच-907, गांधीनगर (रिक्त होने की

				प्रत्याशा में)
29.	40/2016	श्री मुकेश सिंह, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय सचिव, लोकायुक्त सचिवालय राजस्थान जयपुर	31.05.2048	एच-911, गांधीनगर
30.	41/2016	श्री जसवंत सिंह गुर्जर, सहायक कर्मचारी, अति. कार्यालय राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् जयपुर	30.06.2045	6/6, गांधीनगर

**शर्त :-**

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 कार्य दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क़य करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी—चूँकि उक्त कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटनी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
  1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटनी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
  2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटनी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क़य नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्त भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मन मोहन गौड)  
वरिष्ठ उप शासन सचिव

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-**

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. उप सचिव, राजस्थान विधानसभा/ लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटनी के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
3. संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग/ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ/ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/ राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटनी के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
4. अति. मुख्य अभियंता/अधिशाषी अभियंता/सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/ जल संसाधन विभाग/ सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटनी के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
5. प्रभारी अधिकारी(संस्थापन), जिला एवं सेशन न्यायालय/ अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट/ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष मंच संख्या 04/ अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-12/ विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट न्यायालय क्रम 04/ अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या 1/ न्यायाधीश विशिष्ट न्यायाधीश, जयपुर महानगर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटनी के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।

6. पुलिस उपायुक्त, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
8. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
9. लेफ्टिनेंट कर्नल कमांडिंग अधिकारी राजस्थान बटालियन एनसीसी, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
10. अति. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
11. उप वन संरक्षक, वन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
12. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
13. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
14. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
15. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
16. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
17. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
18. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गाँधीनगर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
19. संबंधित कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को सम्मिलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे।
20. निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
21. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ उप शासन सचिव